न्यायालय श्री राजीव कुमार अवर न्यायाधीश अनुमंडलीय
व्यवहार न्यायालय गोगरी, खगड़िया
टी0एस0 26 / 2021

आदेश

18.01.2022 वादी की ओर से पैरवी है। वाद का पुकार किया गया पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनंत प्रसाद के द्वारा दो आवेदन– 01. आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 दिनांक 17.03.2021 को भूल सुधार संबंधि आवेदन एवं 02. आवेदन दिनांक 16.04.2021 जो दिनांक 17.03.2021 को दाखिल आवेदन को वापसी के लिए दिया गया है। संचालित करते हुए इन दोनों आवेदनों को नोट प्रेस किए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 17.03.2021 को वादी के द्वारा टंकन भुल सुधार हेतु आवेदन दिया गया है और दिनांक 16.04.2021 को उक्त आवेदन को वापसी हेतु एक आवेदन दिया गया है। आज दिनांक 18.01.2022 को वादी के विद्वान अधिवक्ता उक्त दोनों आवेदनों को नोट प्रेस किए है। अतः में नोट प्रेस के आधार पर उक्त दोनों आवेदन दिनांक 17.03.2021 एवं 16.04.2021 को निष्पादित किया जाता है।

वाद दिनांक .... वास्ते अग्रिम क्रिया।

लेखापित

अवर न्यायाधीश